

केंद्रीय सूचना आयोग
CIC भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली -110067

F.No. 1/1/2018-MR-CIC

दिनांक: 27-07-2018

Shri. Harpal Singh Rana
A-1, Village Kadipur,
Delhi- 110036

विषय : आपके RTI application Reg no. No. CICOM/R/2018/50514, dt. 18/07/2018 के सन्दर्भ में

महोदय,

आपके RTI application Reg no. No. CICOM/R/2018/50514, dt. 18/07/2018 के सन्दर्भ में वांछित जानकारी निम्नलिखित है

आयोग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सुनवाई के आदेश किस विभाग से कब प्राप्त हुए की जानकारी MR सेक्शन में उपलब्ध नहीं है ।

आयोग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सुनवाई कब आरंभ की गई की भी जानकारी MR सेक्शन में उपलब्ध नहीं है ।

दिल्ली एनसीआर के अपीलकर्ता स्वयं सुनवाई के लिए केंद्रीय सूचना आयोग में आते हैं । अन्य अपीलकर्ता की सुनवाई नजदीक के NIC, VC स्टूडियो द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाती है । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आयोग द्वारा कोई खर्च नहीं होता है ।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केंद्रीय सूचना आयोग में पूर्ण रूप से लागू है ।

आयोग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग NIC द्वारा आरम्भ की गयी है ।

केंद्रीय सूचना आयोग में इस सम्बन्ध में कोई भी पत्र कागजात आदि नहीं है । क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की प्रणाली केंद्रीय सूचना आयोग में NIC द्वारा शुरू की गयी है ।

यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकते हैं ।

श्री. राकेश कुमार सिंह

प्रथम अपील अधिकारी & अपर सचिव

पता: कमरा नॉ. 502

CIC भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, नई दिल्ली

(जीवन चंद्र)

कंसलटेंट CPIO, JS (MR) अनुभाग

प्रतिलिपि :

1. श्री. अशोक कुमार शर्मा, CPIO RTI Cell